पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जुलाई, 2007 ई0 (आषाढ़ 16, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–27

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	151–154	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	395–399	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह विभाग

शुद्धिपत्र

04 जून, 2007 ई0

संख्या 329/XX–2/147/भूमि हस्ता0/2007–शासन की अधिसूचना संख्या–172/XX–2/147/भूमि हस्ता0/ 2007, देहरादून 19 फरवरी, 2007 की अनुसूची में श्री राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

अनुसूची

जनपद	परगना	मौजा	प्लाट नं0	क्षेत्रफल (एन0एन0)
पिथौरागढ़	सोर	मेथना	14	00–02
		मेथना	45	01–05
		किरीगाँव	546	06–00
		किरीगाँव	576	00–08
		किरीगाँव	590	00–12
		किरीगाँव	609	00–04
		किरीगाँव	613	00–02
		किरीगाँव	621	00–03
		किरीगाँव	642	01–04
		किरीगाँव	626/808	00–02

आज्ञा से,
एन0 एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 329/XX(2)/147/Bhoomi Stha./2007,** dated June 04, 2007 for general information :

CORRIGENDUM

June 04, 2007

No. 329/XX(2)/147/Bhoomi Stha./2007–In Schedule of Government Notification No. 172/XX-2/147/Bhoomi Stha./2007, Dated 19 February, 2007 The Governor is pleased to accord sanction for the following amendments, namely:–

SCHEDULE

District	Pargana	Mauza	Plot no.	Area (N-M)
Pithoragarh	Sour	Methna	14	00–02
		Methna	45	01–05
		Kirigaon	546	06–00
		Kirigaon	576	00–08
		Kirigaon	590	00–12
		Kirigaon	609	00–04
		Kirigaon	613	00–02
		Kirigaon	621	00–03
		Kirigaon	642	01–04
		Kirigaon	626/808	00–02

By Order,
N.S. NAPALCHYAL,
Principal Secretary.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

अधिसूचना

26 जून, 2007 ई0

संख्या 2679/दस–3–2007–13(21)/2002–राज्यपाल, वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 31 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या–291/दस–2/2005, दिनांक 11 नवम्बर, 2005 को अधिक्रान्त करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नवत् अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं :–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव न्याय न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3.	अपर प्रमुख वन संरक्षक परियोजनाएं उत्तराखण्ड, देहरादून	–	सदस्य

अधिसूचना

26 जून, 2007 ई0

संख्या 2679(2)/दस–3–2007–13(21)/2002–राज्यपाल, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 8) की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या–292/दस–2/2005, दिनांक 11 नवम्बर, 2005 को अधिक्रान्त करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नवत् एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं :–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव न्याय न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3.	अपर प्रमुख वन संरक्षक परियोजनाएं उत्तराखण्ड, देहरादून	–	सदस्य

आज्ञा से,
एन0 रवि शंकर,
प्रमुख सचिव।

उद्यान एवं रेशम विभाग

विज्ञप्ति

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

20 जून, 2007 ई0

संख्या 555/XVI/07/3(7)/2007–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक–130/दो–34–1/2006–07, दिनांक 19 मई, 2007 के माध्यम से प्राप्त श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने विषयक प्रार्थना–पत्र दिनांक 04–05–2007, जिसमें श्री श्रीवास्तव द्वारा पारिवारिक कारणों के दृष्टिगत उन्हें दिनांक 30–06–2007 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है, पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–56(ग) एवं (घ) के अधीन श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग को दिनांक 30–06–2007 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं, कि यदि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई शासकीय धनराशि आदि बकाया हो, तो उसकी वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों में से नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जायेगी।

आज्ञा से,
उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति / पदोन्नति

21 जून, 2007 ई0

संख्या 179 / XXVII(6) / 2007–तात्कालिक प्रभाव से श्री अरविन्द कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, वेतनमान रु0 8000–275–13500 को उप निदेशक, वेतनमान रु0 10000–325–15200 के पद पर प्रोन्नत करते हुए राष्ट्रीय बचत निदेशालय में तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री मिश्र को निदेशित किया जाता है कि वे अविलम्ब नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 जून, 2007 ई0

संख्या 284 / XXVII(8) / वाणि0 कर / 2007–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2006–07 में उपलब्ध सहायक आयुक्त, वेतनमान रुपये 8000–13500 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–260 / 27 / डी0पी0सी0 / सेवा / 2006–07, दिनांक 30–5–2007 के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों के अनुसार नियमित चयनोपरांत निम्नांकित वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2 को उनके वर्तमान पदस्थ स्थान पर ही एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुए नियमानुसार दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री एन0एस0 बोरा	सामान्य
2.	श्री अनूप गुप्ता	सामान्य
3.	श्री यशपाल सिंह	सामान्य
4.	श्री जगदीश सिंह	सामान्य
5.	श्री हयात सिंह पांगती	सामान्य
6.	श्री आर0बी0 मिश्रा	सामान्य
7.	श्रीमती सुमन जंगपांगी	सामान्य
8.	श्रीमती सावित्री शाह	अनुसूचित जाति
9.	श्री मदनपाल सिंह	अनुसूचित जाति

राधा रतूड़ी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट / 319–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जुलाई, 2007 ई0 (आषाढ़ 16, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क
नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, संभाग पौड़ी

कार्यालयादेश

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 108/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी देवडाली, पो0 गुमखाल, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 जे0–0104/के0टी0 डब्लू/99 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–06–5342 टैक्सी का चालान, दि0 22–03–2007 को वाहन में क्षमता से (06 के स्थान पर 10) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 09/प्रशासन/प्रर्वतन–लाईसेंस/07, दि0 10–04–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 जे0–0104/के0टी0 डब्लू/99 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 109/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री जोगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी विशनपुर, पो0 कुम्भीचौड, कोटद्वार, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 जे–558/के0टी0 डब्लू/05 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक के द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–06–4292 ऑटोरिक्शा का चालान दि0 22–03–2007 को वाहन में क्षमता से (03 के स्थान पर 09) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन

चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 10/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 10–04–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में दि0 15–5–2007 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 जे0–558/के0टी0 डब्लू/05 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 110/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री दीवान सिंह, पुत्र श्री मानवर सिंह, निवासी ग्राम कोलेगढ, पो0 ढावाखाल, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 डी–444/के0टी0डब्लू/02 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–12–3348 टैक्सी कैब का चालान दि0 07–03–2007 को वाहन में क्षमता से (06 के स्थान पर 11) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 218/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 13–03–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 डी–444/के0टी0डब्लू/02 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 111/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम ढौर, पो0 कुणजल, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 जी–186/के0टी0डब्लू/01 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–07जी–5145 टैक्सी कैब का चालान दि0 07–03–2007 को वाहन में क्षमता से (03 के स्थान पर 09) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 219/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 13–03–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंससिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 जी–186/के0टी0डब्लू/01 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 112/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री संजय कुमार, पुत्र श्री केशवानन्द, निवासी ग्राम खैण्गी, पो0 वादलपुर, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 एस–04/के0टी0डब्लू/94 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–06–2497 पिकअप का चालान दि0 14–03–2007 को वाहन में क्षमता से (03 के स्थान पर 09) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 255/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 24–03–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 एस–04/के0टी0डब्लू/94 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 113/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री अनिमेश नौटियाल, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल, निवासी, अपर कालावाडं, कोटद्वार, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 2261/के0टी0डब्लू/90 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0ए0–12–1319 मिनी बस का चालान दि0 16–04–2007 को वाहन में क्षमता से (22 के स्थान पर 33) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 52/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 27–04–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में दि0 15–5–2007 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 2261/के0टी0डब्लू/05 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 114/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री राजीव कुमार सिंह, पुत्र श्री चन्द्र सिंह, निवासी ग्राम तोली, पो0 दिउसा, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 आर0–1129/के0टी0डब्लू/04 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–03–2238 टैक्सी कैब का चालान दि0 05–02–2007 को वाहन में क्षमता से (06 के स्थान पर 14) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 217/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 13–03–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 आर–1129/के0टी0डब्लू/04 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 115/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री बहादुर सिंह, पुत्र श्री बख्तावर सिंह नौटियाल, निवासी हल्दुखात, कोटद्वार, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 3894/के0टी0डब्लू/91 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–07डी–3790 टैक्सी का चालान दि0 22–03–2007 को वाहन में क्षमता से (07 के स्थान पर 16) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 17/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 10–04–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 2261/के0टी0डब्लू/05 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 116/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07–श्री अनिल सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह नेगी, निवासी ईडामल्ला पट्टी मोदालस्यू, जनपद पौड़ी, का लाईसेंस सं0 ए–1235/के0टी0डब्लू/91 इस कार्यालय द्वारा जारी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार ने उपरोक्त वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन सं0 यू0पी0–07–9113 टैक्सी का चालान दि0 26–03–2007 को वाहन में क्षमता से (06 के स्थान पर 11) अधिक सवारियां ढोने में किया गया है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के द्वारा उपरोक्त वाहन चालक के लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में वाहन चालक को इस कार्यालय के पत्र सं0 14/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/07, दि0 10–04–2007 को पत्र प्रेषित करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। वाहन चालक कार्यालय पत्र के अनुपालन में निर्धारित समय तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः इस संबंध में चालक द्वारा की गई अनियमितता के लिये, मैं, सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 ए–1235/के0टी0डब्लू/04 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से 02 माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूं।

18 मई, 2007 ई0

पत्रांक 117/प्रशासन/प्रवर्तन–लाईसेंस/06–श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री एल0 एस0 नेगी, निवासी अपर कालावाड, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल का लाईसेंस सं0 2780/के0टी0डब्लू/93 इस कार्यालय द्वारा जारी है। पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र सं0 आर–18/2006, दिनांक 23–11–2006 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त वाहन चालक वाहन सं0 यू0ए0–13–0663 बस का चालक था तथा इस चालक द्वारा वाहन सं0 यू0ए0–07के0–6657 मैक्सी कैब को दि0 10–11–2006 में स्थान सौंडपानी के पास टक्कर मारकर 150 मीटर गहरी खाई में गिराकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया, जिससे उसमें बैठे चालक सहित 10 सवारियां गम्भीर/साधारण रूप से घायल हो गये हैं। पुलिस अधीक्षक टिहरी के द्वारा वाहन को तेजी/लापरवाही से चलाने की प्रवृत्ति के कारण चालक लाईसेंस सं0 2780/के0टी0डब्लू/93 के निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

इस संबंध में कार्यालय के द्वारा वाहन चालक को पत्र सं0 125/प्रशासन/प्रर्वतन–लाईसेंस/06, दि0 08–11–2006 प्रेषित करते हुए अपना पक्ष 01 सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु मौका प्रदान किया। लेकिन उपरोक्त वाहन चालक अभी तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः चालक द्वारा की गई अनियमितता एवं भविष्य में वाहन चालक के द्वारा गम्भीर दुर्घटना घटित होने की संभावना को देखते हुए, मैं सुनीता सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, लाईसेंसिंग अधिकारी, कोटद्वार के रूप में चालक लाईसेंस सं0 2780/के0टी0डब्लू/93 को केन्द्रीय मोटरयान गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 22–(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करती हूं। वाहन चालक श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना चालक लाईसेंस तत्काल कोटद्वार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

ह0 (अस्पष्ट),
संभागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/319–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।